

Question What is a Charter in Legal History?

In legal history, a **charter** is a **formal written document issued by a sovereign authority** (such as a king, queen, or government) that grants certain rights, privileges, powers, or status to individuals, corporations, cities, or colonies.

It is one of the earliest sources of constitutional and administrative law.

1. Meaning

The word *charter* comes from the Latin word “**charta**”, meaning a written paper or document.

A charter is:

A written grant by the sovereign authority conferring rights, powers, or privileges.

2. Important Features

1. It is a **formal written document**
 2. Issued by the **King, Queen, or State**
 3. Grants **legal rights or authority**
 4. Has **binding legal effect**
-

3. Types of Charters in Legal History

(1) Royal Charter

Issued by the King/Queen.

Example:

- **Magna Carta (1215)** – Issued by King John of England
 - Limited the powers of the king
 - Protected rights of subjects
 - Foundation of constitutional government
-

(2) Municipal Charter

Granted to towns or cities giving them local self-government powers.

(3) Colonial Charter

Given to trading companies or colonies.

Example (Indian Legal History):

- **Charter of 1600** – Granted to East India Company by Queen Elizabeth I
- **Charter Act of 1726** – Established Mayor’s Courts in Calcutta, Bombay, and Madras
- **Charter Act of 1833** – Centralized legislative power in India

These charters played a major role in developing the Indian judicial system.

4. Importance in Legal History

- Foundation of **constitutional law**
 - Development of **judicial system**
 - Beginning of **limited monarchy**
 - Growth of **corporate legal personality**
 - Basis of colonial administration in India
-

5. Simple Definition (Exam Oriented – 5 Marks)

A charter is a formal written document issued by a sovereign authority granting rights, powers, or privileges to a person, corporation, city, or colony. It played an important role in the development of constitutional and legal systems.

विधिक इतिहास में “चार्टर” (Charter) क्या है?

चार्टर एक औपचारिक लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसे किसी सम्राट, राजा, रानी या राज्य द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्था, नगर या उपनिवेश को विशेष अधिकार, शक्तियाँ या विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं।

1. अर्थ

“Charter” शब्द लैटिन शब्द “Charta” से बना है, जिसका अर्थ है – *लिखित दस्तावेज़*।

परिभाषा:

चार्टर वह औपचारिक लिखित दस्तावेज़ है, जिसके द्वारा संप्रभु सत्ता (राजा/राज्य) किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करती है।

2. प्रमुख विशेषताएँ

1. यह एक लिखित दस्तावेज़ होता है।
 2. इसे राजा, रानी या सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
 3. इसके द्वारा कानूनी अधिकार और शक्तियाँ दी जाती हैं।
 4. इसका कानूनी प्रभाव बाध्यकारी (binding) होता है।
-

3. विधिक इतिहास में चार्टर के प्रकार

(1) रॉयल चार्टर (Royal Charter)

राजा या रानी द्वारा जारी किया जाता है।

उदाहरण:

मैग्ना कार्टा (1215) – इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी

- राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगाया
 - प्रजा के अधिकारों की रक्षा की
 - संवैधानिक शासन की नींव रखी
-

(2) नगरपालिका चार्टर (Municipal Charter)

नगरों को स्वशासन (Self-Government) का अधिकार देने के लिए।

(3) औपनिवेशिक चार्टर (Colonial Charter)

भारत के विधिक इतिहास में महत्वपूर्ण:

- 1600 का चार्टर – ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिज़ाबेथ द्वारा दिया गया
- 1726 का चार्टर – कलकत्ता, बंबई और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना
- 1833 का चार्टर अधिनियम – भारत में विधायी शक्ति का केंद्रीकरण

4. विधिक इतिहास में महत्व

- संवैधानिक कानून की शुरुआत
 - न्यायपालिका के विकास में योगदान
 - सीमित राजतंत्र की स्थापना
 - भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की नींव
-

परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर (5 अंक)

चार्टर एक औपचारिक लिखित दस्तावेज़ है, जिसे संप्रभु सत्ता द्वारा जारी किया जाता है और जिसके द्वारा अधिकार, शक्तियाँ या विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। विधिक इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इससे संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था का विकास हुआ।

Question **When did Queen Elizabeth grant the Charter to the East India Company?**

Queen Elizabeth I granted the Charter to the **East India Company on 31 December 1600.**

The company was officially named:

“The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies.”

For how long was it granted?

The original Charter was granted for **15 years.**

- It gave the Company **exclusive trading rights (monopoly)** in the East Indies.
 - After 15 years, the Charter could be **renewed by the Crown.**
 - The monopoly could also be cancelled with **2 years’ notice**, if required.
-

Important Point for Exams

- 📅 **Date:** 31 December 1600
- 👑 **Granted by:** Queen Elizabeth I
- ⏳ **Duration:** 15 years (renewable)

-  **Purpose:** Exclusive trade rights in the East Indies
-

Later, the Company's powers were gradually expanded through new Charters and Charter Acts (like 1661, 1726, 1833, etc.), which eventually led to British political control over India.

महारानी एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब दिया और कितने समय के लिए?

 **महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम (Queen Elizabeth I) ने**

 **31 दिसम्बर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया।**

कंपनी का आधिकारिक नाम था:

“द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेण्ट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंटू द ईस्ट इंडीज”

चार्टर कितने समय के लिए था?

 यह चार्टर **15 वर्षों** के लिए दिया गया था।

मुख्य बिंदु:

1. कंपनी को **पूर्वी देशों (East Indies)** में व्यापार करने का **एकाधिकार (Monopoly)** दिया गया।
 2. 15 वर्ष बाद इसे **नवीनीकृत (Renew)** किया जा सकता था।
 3. यदि आवश्यक हो, तो सरकार **2 वर्ष का नोटिस देकर** इसे समाप्त भी कर सकती थी।
-

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

-  वर्ष: 31 दिसम्बर 1600
-  प्रदान करने वाली: **महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम**
-  अवधि: 15 वर्ष (नवीकरण योग्य)

- 🎯 उद्देश्य: पूर्वी देशों में व्यापार का विशेष अधिकार
-

बाद में 1661, 1726 और 1833 आदि के चार्टरों द्वारा कंपनी की शक्तियाँ बढ़ाई गईं, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी।

Question who deal with mugal king jahangeer?

The person who dealt with **Mughal King Jahangir** on behalf of the East India Company was:

👉 **Sir Thomas Roe**

Details:

- 📅 He came to India in **1615**
 - 👑 Sent by **King James I of England**
 - 🎯 Purpose: To obtain trading privileges from Mughal Emperor **Jahangir**
 - 🏛️ He stayed at Jahangir's court until **1619**
-

What did he achieve?

- He secured permission for the East India Company to establish **factories (trading centers)** in Surat and other places.
 - The Company received certain **trading privileges** in the Mughal Empire.
 - However, he did not get complete monopoly rights inside India.
-

Exam Point (Short Answer)

Sir Thomas Roe was the English ambassador sent by King James I in 1615 to the court of Mughal Emperor Jahangir to obtain trading privileges for the East India Company.

Question what is the name of first criminal court establish by east india co?

The **first criminal court established by the East India Company in India** was:

👉 **Court of Judicature at Madras (Choultry Court – early form)**

Explanation:

- The East India Company established its earliest judicial system at **Madras (Fort St. George)**.
- Around **1665**, a **Court of Judicature** was set up.
- Before that, local petty criminal matters were handled in **Choultry Courts** by Indian officials under Company supervision.

However, in a more structured and formal sense:

👉 **The first proper criminal court under Company authority was established at Madras.**

Important for Exams (More Accurate Answer)

- 📍 **Place:** Madras (Fort St. George)
- 📅 **Period:** Mid-17th century (around 1665)
- ⚖️ **Function:** Tried civil and criminal cases of Company servants and local inhabitants

Later developments:

- **1726 Charter** – Established Mayor's Courts in Madras, Bombay, and Calcutta
 - **1774** – Supreme Court at Calcutta
-

Short Exam Answer (5 Marks)

The first criminal court established by the East India Company was the Court of Judicature at Madras in the 17th century. It dealt with civil and criminal matters under Company authority.

Sadar Nizamat Adalat (सदर निज़ामत अदालत)

Sadar Nizamat Adalat was the **highest criminal court** in British India during the early Company period.

📄 Meaning

- **"Sadar"** = Chief / Highest
- **"Nizamat"** = Criminal administration
- **"Adalat"** = Court

So, it means **Chief Criminal Court**.

📅 When was it established?

It was reorganized in **1772** under the judicial plan of **Warren Hastings**.

⚖️ Function

- It was the **highest appellate criminal court**.
- It heard appeals from **District Criminal Courts (Faujdari Adalats)**.
- It confirmed **death sentences** awarded by lower courts.

- It supervised criminal justice administration.
-

Who Presided?

- Initially, it functioned in the name of the **Nawab of Bengal**.
 - The real control was exercised by the **East India Company officials**.
 - Later, Company judges directly controlled it.
-

Location

- Initially at **Murshidabad**
 - Later shifted to **Calcutta**
-

Importance

- It was the highest criminal court before the establishment of the High Courts.
 - In **1862**, after the Indian High Courts Act 1861, it was abolished and replaced by the **High Court of Calcutta**.
-

Short Exam Answer (5–6 Marks)

Sadar Nizamat Adalat was the highest criminal court in British India during the East India Company period. It was reorganized in 1772 under Warren Hastings. It heard appeals in criminal cases and confirmed death sentences. It was later abolished in 1862 after the establishment of High Courts.

Sadar Diwani Adalat

Sadar Diwani Adalat was the **highest civil court** in British India during the East India Company period.

Meaning

- **Sadar** = Chief / Highest
- **Diwani** = Civil (revenue & civil matters)
- **Adalat** = Court

So, it means **Chief Civil Court**.

Establishment

- Established in **1772**

- Under the **Judicial Plan of Warren Hastings**
 - After the Company got **Diwani rights (1765)** from the Mughal Emperor
-

Functions

1. It was the **highest appellate civil court**.
 2. Heard appeals from **District Diwani Adalats**.
 3. Decided cases relating to:
 - Property disputes
 - Revenue matters
 - Civil rights
 - Contracts
-

Composition

- Initially presided over by the **Governor and Council**.
 - Later controlled by **British judges**.
-

Location

- Situated at **Calcutta**.
-

Importance

- It was the highest civil court before the establishment of High Courts.
 - Abolished in **1862** after the **Indian High Courts Act, 1861**.
 - Its powers were transferred to the **Calcutta High Court**.
-

Short Exam Answer (5 Marks)

Sadar Diwani Adalat was the highest civil court in British India established in 1772 under Warren Hastings' Judicial Plan. It heard appeals in civil and revenue matters from district courts. It was abolished in 1862 after the establishment of the High Courts.

Difference between Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat

Basis	Sadar Diwani Adalat	Sadar Nizamat Adalat
Nature of Cases	Dealt with Civil cases	Dealt with Criminal cases
Meaning	Diwani = Civil / Revenue matters	Nizamat = Criminal administration
Established	1772 (Judicial Plan of Warren Hastings)	1772 (Reorganized under Warren Hastings)
Type of Court	Highest Civil Appellate Court	Highest Criminal Appellate Court
Appeals From	District Diwani Adalats	District Faujdari Adalats
Matters Handled	Property disputes, revenue, contracts, inheritance	Murder, theft, assault, and other criminal offences
Control	Governor and Council (later British judges)	Nominally under Nawab, but controlled by Company
Location	Calcutta	Initially Murshidabad, later shifted to Calcutta
Abolished	1862 (after High Courts Act 1861)	1862 (after High Courts Act 1861)

Short Explanation (Exam Friendly – 5–8 Marks)

Sadar Diwani Adalat was the highest civil court established in 1772 under Warren Hastings. It dealt with civil and revenue matters.

Sadar Nizamat Adalat was the highest criminal court dealing with criminal cases and confirmation of death sentences.

Both courts were abolished in 1862 after the establishment of the High Courts.

You are asking about the difference between “Procedure Established by Law” and “Due Process of Law.”

This is an important Constitutional Law topic (especially Article 21).

1 Procedure Established by Law

Meaning:

It means that a person can be deprived of life or personal liberty **according to the procedure prescribed by a validly enacted law.**

👉 If the law is properly passed by the legislature, and the procedure in that law is followed, the court will not question whether the law is fair or reasonable (originally).

Origin:

- JP Borrowed from the **Japanese Constitution**

- Adopted in **Article 21 of the Indian Constitution**

Indian Position (Earlier View):

- **A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)**
 - Supreme Court held that if there is a law and procedure is followed, Article 21 is satisfied.
-

2 Due Process of Law

Meaning:

It means that not only must there be a law, but the law must also be **just, fair, and reasonable**.

👉 Courts can examine:

- Whether the law is fair
- Whether the procedure is reasonable
- Whether it violates fundamental rights

Origin:

- us United States Constitution (5th & 14th Amendments)
-

3 Change in Indian Law

In **Maneka Gandhi v. Union of India (1978)**, the Supreme Court expanded Article 21 and held:

The procedure must be **“right, just and fair”**, not arbitrary.

After this case, India practically adopted the **substantive due process principle**, even though the Constitution uses the words “procedure established by law.”

4 Difference Between the Two

Basis	Procedure Established by Law	Due Process of Law
Focus	Procedure only	Fairness of law + procedure
Court’s Power	Limited	Wide power of judicial review
Origin	Japan	USA
Indian Case	A.K. Gopalan (1950)	Maneka Gandhi (1978)

Short Exam Answer (10 Marks)

“Procedure Established by Law” means a person can be deprived of life or liberty according to a law made by the legislature. “Due Process of Law” means the law must be fair, just, and reasonable.

Initially, India followed a narrow interpretation in A.K. Gopalan (1950), but after Maneka Gandhi (1978), the Supreme Court expanded Article 21 and incorporated the principle of due process.

“Procedure Established by Law” और “Due Process of Law” में अंतर

यह विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है।

1 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)

अर्थ:

किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल उसी स्थिति में छीना जा सकता है, जब वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो।

👉 यदि संसद/विधानमंडल ने विधि बना दी है और उसमें दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो प्रारंभिक रूप से न्यायालय यह नहीं देखता था कि वह कानून न्यायसंगत है या नहीं।

स्रोत:

- JP जापान के संविधान से लिया गया
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त

प्रारंभिक दृष्टिकोण:

A.K. Gopalan बनाम मद्रास राज्य (1950)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विधि है और प्रक्रिया का पालन हुआ है, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है।

2 विधि का उचित प्रक्रम (Due Process of Law)

अर्थ:

किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीनने वाला कानून केवल विधि द्वारा बनाया गया होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कानून न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत भी होना चाहिए।

👉 न्यायालय यह जाँच सकता है कि:

- क्या कानून उचित है?
- क्या प्रक्रिया न्यायसंगत है?
- क्या यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है?

स्रोत:

- US अमेरिका के संविधान (5वें और 14वें संशोधन) से

3 भारत में परिवर्तन

Maneka Gandhi बनाम भारत संघ (1978) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया "न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत" होनी चाहिए, न कि मनमानी।

इस निर्णय के बाद भारत ने व्यावहारिक रूप से Due Process के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया।

4 दोनों में अंतर

आधार	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया	विधि का उचित प्रक्रम
ध्यान	केवल प्रक्रिया पर	कानून + प्रक्रिया की न्यायसंगतता
न्यायालय की शक्ति सीमित		व्यापक न्यायिक समीक्षा
स्रोत	जापान	अमेरिका

आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि का उचित प्रक्रम

प्रमुख वाद

A.K. Gopalan (1950)

Maneka Gandhi (1978)

परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर (10 अंक)

“विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार छीनी जा सकती है।

“विधि का उचित प्रक्रम” का अर्थ है कि वह कानून न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत भी होना चाहिए।

प्रारंभ में भारत ने संकीर्ण व्याख्या अपनाई, परंतु 1978 के Maneka Gandhi वाद के बाद न्यायालय ने उचित प्रक्रम के सिद्धांत को स्वीकार किया।

Contents of the First Charter (Charter of 1600)

The **First Charter** was granted by **Queen Elizabeth I on 31 December 1600** to the East India Company. It laid the foundation of British trade in India.

Main Contents of the Charter of 1600

1 Incorporation of the Company

- The Charter created a legal body named:
“**The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies.**”
- It gave the Company a **separate legal personality** (corporate status).

2 Exclusive Trading Rights (Monopoly)

- The Company was given **exclusive rights to trade** in the East Indies.
- No other English merchant could trade in that region without Company permission.

3 Duration

- Granted for **15 years**.
- Could be renewed by the Crown.
- Could be cancelled with **2 years’ notice**.

4 Power to Make Bye-Laws

- The Company could make **rules and regulations** for its internal management.
 - Such laws must not be contrary to English law.
-

5 Power to Acquire Property

- The Company could **purchase, hold, and dispose of property**.
 - It could use a **common seal**.
-

6 Right to Sue and Be Sued

- As a corporate body, it could **file cases and be sued** in its own name.
-

7 Governance Structure

- Managed by a **Governor and 24 Directors (Committee Members)** elected by shareholders.
-

Importance

- Marked the beginning of British commercial presence in India.
 - Gave the Company legal and corporate authority.
 - Later charters expanded its judicial and political powers.
-

Short Exam Answer (5–7 Marks)

The Charter of 1600 granted by Queen Elizabeth I incorporated the East India Company, gave it exclusive trading rights in the East Indies for 15 years, allowed it to make bye-laws, acquire property, and sue or be sued. It laid the foundation of British rule in India.

प्रथम चार्टर (1600) की विषय-वस्तु

31 दिसम्बर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला चार्टर प्रदान किया। यह चार्टर भारत में अंग्रेजी व्यापार की शुरुआत का आधार बना।

प्रथम चार्टर (1600) के मुख्य प्रावधान

1 कंपनी का निगमकरण (Incorporation)

- इस चार्टर द्वारा एक विधिक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था: “द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेण्ट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंट्र द ईस्ट इंडीज”
 - कंपनी को निगम (Corporate Body) का दर्जा मिला।
 - उसे पृथक विधिक व्यक्तित्व (Separate Legal Entity) प्राप्त हुआ।
-

2 व्यापार का एकाधिकार (Monopoly)

- कंपनी को पूर्वी देशों (East Indies) में व्यापार करने का विशेष और एकमात्र अधिकार दिया गया।
 - कोई अन्य अंग्रेज व्यापारी बिना अनुमति व्यापार नहीं कर सकता था।
-

3 अवधि (Duration)

- चार्टर 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया।
 - इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता था।
 - सरकार 2 वर्ष का नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकती थी।
-

4 उपविधियाँ बनाने की शक्ति (Power to Make Bye-Laws)

- कंपनी को अपने प्रशासन के लिए नियम एवं उपनियम बनाने की शक्ति दी गई।
 - ये नियम अंग्रेजी कानून के विरुद्ध नहीं होने चाहिए थे।
-

5 संपत्ति रखने का अधिकार

- कंपनी को संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार दिया गया।

- उसे कॉमन सील (Common Seal) रखने की अनुमति थी।
-

6 वाद दायर करने की शक्ति

- कंपनी अपने नाम से वाद दायर कर सकती थी और उसके विरुद्ध भी वाद चलाया जा सकता था।
-

7 प्रबंधन व्यवस्था

- कंपनी का संचालन एक गवर्नर और 24 निदेशकों (Directors) द्वारा किया जाना था, जिन्हें शेयरधारक चुनते थे।
-

महत्व

- यह चार्टर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव बना।
 - इससे कंपनी को कानूनी और कॉर्पोरेट अधिकार प्राप्त हुए।
 - आगे के चार्टर (1661, 1726 आदि) ने इसकी शक्तियों को और बढ़ाया।
-

परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर (5-7 अंक)

1600 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को निगम का दर्जा, पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार, उपविधि बनाने की शक्ति, संपत्ति रखने और वाद दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का आधार बना।

1600 के चार्टर में गवर्नर, निदेशक एवं न्यायालय व्यवस्था (संक्षेप में)

1 गवर्नर (Governor)

- 1600 के चार्टर के अनुसार कंपनी का प्रमुख एक गवर्नर होता था।
- गवर्नर का चुनाव कंपनी के शेयरधारकों (General Court) द्वारा किया जाता था।

- कार्यकाल सामान्यतः एक वर्ष का होता था (पुनः चुना जा सकता था)।
 - गवर्नर कंपनी के प्रशासन, व्यापारिक निर्णयों और बैठकों की अध्यक्षता करता था।
-

2 निदेशक (Directors)

- गवर्नर के साथ 24 निदेशक (जिन्हें “Committee of 24” कहा जाता था) होते थे।
 - इनका भी चुनाव शेयरधारकों द्वारा किया जाता था।
 - ये मिलकर कंपनी की नीतियाँ, व्यापारिक योजनाएँ और प्रशासनिक निर्णय तय करते थे।
 - गवर्नर + 24 निदेशक मिलकर कंपनी का संचालन करते थे।
-

3 न्यायालय व्यवस्था (Courts Established)

महत्वपूर्ण बात:

1600 के मूल चार्टर में भारत में कोई औपचारिक न्यायालय स्थापित नहीं किया गया था।

लेकिन:

- कंपनी को अपने कर्मचारियों और व्यापार से संबंधित मामलों के लिए उपनियम (Bye-laws) बनाने की शक्ति दी गई थी।
- बाद के चार्टरों में न्यायिक शक्तियाँ बढ़ीं।

आगे का विकास:

- 1661 का चार्टर – कंपनी को दीवानी और फौजदारी मामलों का निर्णय करने की शक्ति मिली।
- मद्रास में चाउल्ट्री कोर्ट (Choultry Court) – प्रारंभिक स्थानीय न्यायालय।

- 1726 का चार्टर – मद्रास, बंबई और कलकत्ता में मेयर कोर्ट (Mayor's Court) की स्थापना।

परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर (5-7 अंक)

1600 के चार्टर के अनुसार कंपनी का संचालन एक गवर्नर और 24 निदेशकों द्वारा किया जाता था, जिनका चुनाव शेयरधारकों द्वारा होता था। गवर्नर का कार्यकाल सामान्यतः एक वर्ष का होता था। प्रारंभिक चार्टर में कोई औपचारिक न्यायालय स्थापित नहीं किया गया था, परंतु कंपनी को उपविधियाँ बनाने की शक्ति दी गई थी। बाद के चार्टरों में कंपनी को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

=====*****=====*****=====

Veto (often misspelled as *vito*) means **the power to reject or prohibit a decision or proposal**, especially by a constitutional authority.

Simple Meaning:

A **veto** is the authority of a person (usually the President or Governor) to refuse approval of a bill passed by the legislature.

Example in Indian Context:

Under the Constitution of India, the **President of India** has the power to veto certain bills passed by Parliament.

There are mainly three types of veto in India:

1. **Absolute Veto** – The President completely rejects the bill.
2. **Suspensive Veto** – The President sends the bill back for reconsideration.
3. **Pocket Veto** – The President keeps the bill pending without any action.

Origin:

The word *veto* comes from Latin, meaning **“I forbid.”**

*****=====*****=====*****=====

date 17.02.2026 time 10.30 am period 02

subject what is the legislative power of east india co in 1600.

 **Legislative Power of the East India Company (1600)**

◆ Establishment (1600)

The East India Company was established by a **Royal Charter** granted by Queen Elizabeth I on **31 December 1600**.

Initially, it was only a **trading company**, not a governing body.

◆ Nature of Power in 1600

At the time of the 1600 Charter:

- The Company had **commercial powers**, not full legislative power.
- It could make **by-laws and regulations** for:
 - Its employees
 - Company servants
 - Internal management

👉 These rules were mainly for maintaining discipline and regulating trade.

◆ No Sovereign Legislative Power

- In 1600, the Company **did not have territorial control in India**.
 - Therefore, it had **no power to make laws for Indian people**.
 - It could only regulate its own members under the authority of the English Crown.
-

◆ Development Later

Real legislative authority developed much later through:

- Regulating Act
- Pitt's India Act
- Charter Act

These Acts gradually converted the Company from a trading body into a governing authority.

📌 Exam Conclusion (5–10 Marks)

In 1600, the East India Company did not possess sovereign legislative power. It only had authority under the Royal Charter to frame internal regulations for its employees and commercial operations. Full legislative powers in India were conferred much later through Parliamentary Acts of the British Government.

📖 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की विधायी शक्ति

◆ स्थापना (1600)

East India Company की स्थापना 31 दिसम्बर 1600 को

Queen Elizabeth I द्वारा दिए गए **रॉयल चार्टर** (Royal Charter) के माध्यम से हुई थी।

उस समय यह केवल एक **व्यापारिक कंपनी** (Trading Company) थी।

◆ 1600 में विधायी शक्ति की स्थिति

1600 के चार्टर के अंतर्गत कंपनी को:

- अपने कर्मचारियों और सदस्यों के लिए
- व्यापार संचालन और अनुशासन बनाए रखने हेतु

नियम और उपविधियाँ (By-laws) बनाने का अधिकार था।

👉 ये नियम केवल कंपनी के **आंतरिक प्रबंधन** (Internal Management) तक सीमित थे।

◆ संप्रभु (Sovereign) विधायी शक्ति का अभाव

- 1600 में कंपनी के पास भारत में कोई **क्षेत्रीय शासन** (Territorial Control) नहीं था।
 - इसलिए उसे भारतीय जनता के लिए कानून बनाने की संप्रभु शक्ति प्राप्त नहीं थी।
 - वह केवल इंग्लैंड के सम्राट के अधिकार के अधीन अपने व्यापार से संबंधित नियम बना सकती थी।
-

◆ बाद में विधायी शक्ति का विकास

समय के साथ कंपनी को विधायी शक्तियाँ ब्रिटिश संसद के अधिनियमों द्वारा प्राप्त हुईं, जैसे:

- Regulating Act
- Pitt's India Act
- Charter Act

इन अधिनियमों के माध्यम से कंपनी एक व्यापारिक संस्था से शासकीय संस्था में परिवर्तित हो गई।

परीक्षा हेतु निष्कर्ष (5-10 अंक)

1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास संप्रभु विधायी शक्ति नहीं थी। उसे केवल अपने कर्मचारियों और व्यापारिक कार्यों के संचालन हेतु आंतरिक नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। वास्तविक विधायी शक्ति उसे बाद में ब्रिटिश संसद के अधिनियमों द्वारा प्रदान की गई।

*****-----*****-----*****

date 18.02.2026 time 10.30 am period 2

charter 1661

Charter of 1661 (Details in English & Hindi)

The **English East India Company** received the **Charter of 1661** from **Charles II**. This Charter greatly expanded the Company's powers in India.

◆ In English

1 Appointment of Governor and Officers

- The Company was empowered to appoint a **Governor** and other officers for its factories and settlements.
- The Governor was given authority to administer the settlement and maintain discipline.

2 Power to Make Laws

- The Company could make laws, orders, and ordinances for governance of its settlements.
- Such laws had to be reasonable and not contrary to the laws of England.

3 Judicial Powers

- The Governor and Council were authorized to try civil and criminal cases involving Company servants.
- They could impose punishment according to English law.

4 Power to Wage War and Make Peace

- The Company could declare war and make peace with non-Christian powers in areas where it traded.

5 Power to Fortify and Defend

- It was allowed to build forts, raise armies, and defend its territories.
-

♦ In Hindi (हिंदी में)

1 गवर्नर एवं अधिकारियों की नियुक्ति

- कंपनी को अपने कारखानों (Factories) और बस्तियों में गवर्नर तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।
- गवर्नर को प्रशासन चलाने और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति दी गई।

2 कानून बनाने की शक्ति

- कंपनी को अपनी बस्तियों के शासन के लिए नियम, आदेश और अधिनियम बनाने की अनुमति दी गई।
- ये नियम इंग्लैंड के कानून के विरुद्ध नहीं होने चाहिए।

3 न्यायिक शक्तियाँ

- गवर्नर और उसकी परिषद को दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया।
- वे अंग्रेजी कानून के अनुसार दंड दे सकते थे।

4 युद्ध और शांति की शक्ति

- कंपनी को गैर-ईसाई शासकों के विरुद्ध युद्ध करने और संधि करने का अधिकार दिया गया।

5 किलेबंदी और सुरक्षा

- कंपनी को किले बनाने, सेना रखने और अपने क्षेत्रों की रक्षा करने का अधिकार मिला।
-

◆ **Importance of Charter 1661**

- It marked the beginning of **political and administrative authority** of the East India Company in India.
 - It laid the foundation for later judicial and executive developments.
 - It strengthened Company's transformation from a trading body to a territorial power.
-
-

case

🏛️ **Mrs. Ascentia Dawes – Legal History Context**

◆ **परिचय**

Mrs. Ascentia Dawes 17वीं शताब्दी में English East India Company के अधीन भारत में रहने वाली एक अंग्रेज महिला थीं।

◆ **महत्व (Importance)**

- उनका नाम प्रारंभिक अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली (Early English Judicial System in India) के संदर्भ में आता है।
- उन पर हत्या (murder) का आरोप लगा था।
- उस समय भारत में स्पष्ट और विकसित अंग्रेजी न्यायिक संरचना नहीं थी।
- इस मामले ने यह प्रश्न उठाया कि भारत में अंग्रेज प्रजाजनों पर किस कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

◆ **कानूनी महत्व**

- यह मामला दिखाता है कि 1661 के चार्टर के बाद कंपनी को अपने कर्मचारियों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त थे।
 - इससे स्पष्ट हुआ कि कंपनी अपने अंग्रेज कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती थी।
 - इस प्रकार यह मामला भारत में अंग्रेजी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रारंभिक विकास से जुड़ा हुआ है।
-

♦ परीक्षा हेतु संक्षिप्त नोट

Mrs. Ascentia Dawes का मामला भारत में अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के प्रारंभिक विकास का उदाहरण है। इसने स्पष्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कर्मचारियों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था और अंग्रेजों पर अंग्रेजी कानून लागू होगा।

🔪 Correct Legal Sequence in a Criminal Case

1 FIR (First Information Report)

👉 Complaint is registered with the police.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है)

2 Investigation

👉 Police collect evidence, record statements.

(पुलिस जांच करती है)

3 Accused

👉 A person against whom allegation is made.

(जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया हो)

4 Arrest (if required)

👉 Police may arrest the accused.

(आरोपी की गिरफ्तारी)

5 Charge Sheet

👉 Police file report before court after investigation.

(जांच के बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल)

6 Trial Begins

👉 Court starts hearing the case.

(मुकदमे की सुनवाई शुरू)

7 Charges Framed

👉 Court formally states the charges.

(आरोप तय किए जाते हैं)

8 Prosecution Evidence

👉 Evidence presented against accused.

(अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है)

9 Defense Evidence (if any)

☞ Accused presents defense.

(बचाव पक्ष साक्ष्य देता है)

10 Arguments

☞ Final arguments by both sides.

(दोनों पक्षों की अंतिम बहस)

1 1 Judgment

☞ Court gives decision.

(अदालत निर्णय सुनाती है)

If accused is found guilty ☞ **Conviction** (दोषसिद्धि)

If not guilty ☞ **Acquittal** (बरी)

1 2 Sentence / Order

☞ Court decides punishment after conviction.

(दोष सिद्ध होने पर दंडादेश)

1 3 Appeal (if filed)

☞ Higher court review.

(उच्च न्यायालय में अपील)

◆ **Important Terms (Correct Spellings)**

- FIR ✓
- Accused ✓
- Culprit (actual offender, informal term)
- Conviction ✓
- Acquittal ✓ (Not "equital")
- Sentence ✓
- Order ✓

what is the charter of 1661 2nd phase. 1678-1686

📄 **Charter of 1661 – Second Phase (1678–1686)**

The **English East India Company** received wide powers under the **Charter of 1661** from **Charles II**. However, between **1678–1686**, the Company entered a *second phase* where these powers were expanded and practically enforced, especially in judicial and military matters.

This period marks the transformation of the Company from a **trading body** into a **semi-sovereign political authority**.

◆ **Main Features of the Second Phase (1678–1686)**

1 **Strengthening of Governor's Authority**

- Governors of settlements (especially Madras and Bombay) were given stronger administrative control.
 - The Governor and Council became the central authority in civil, criminal, and military matters.
-

2 **Development of Judicial System**

- The Company began establishing more organized courts in its settlements.
- Civil and criminal justice was administered in the name of the Company.
- English law principles were increasingly applied to English subjects.

👉 This laid the foundation for later judicial reforms (like the Charter of 1683 and 1686).

3 **Military and War Powers**

- The Company actively exercised its right to wage war and make peace with Indian rulers.
- It maintained armed forces and fortified settlements.

This shows practical use of powers granted in 1661.

4 **Establishment of Admiralty Court (1686)**

In 1686, an **Admiralty Court** was established in Madras to try maritime and commercial disputes. This marked a major step toward formal judicial administration.

5 **Political Ambition of the Company**

During this phase, the Company increasingly behaved like a sovereign authority:

- Entered treaties
- Collected revenue
- Exercised judicial and executive powers

◆ Importance of 1678–1686 Phase

- Transition from trade to territorial power.
 - Beginning of structured judicial institutions in India.
 - Foundation for later Charters (1683, 1698).
-

◆ Exam-Ready Conclusion

The second phase (1678–1686) of the Charter of 1661 represents the period when the East India Company began actively exercising its political, military, and judicial powers. This phase marks the early beginning of British administrative and judicial control in India.

📖 चार्टर 1661 का द्वितीय चरण (1678–1686)

English East India Company को Charles II द्वारा 1661 का चार्टर प्रदान किया गया था।

परंतु 1678 से 1686 के बीच का काल उसका *द्वितीय चरण* माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में कंपनी ने चार्टर द्वारा दी गई शक्तियों का **व्यावहारिक और व्यापक प्रयोग** शुरू कर दिया।

यही वह समय है जब कंपनी केवल व्यापारिक संस्था न रहकर एक **अर्ध-राजनैतिक** (Semi-Sovereign) शक्ति के रूप में उभरने लगी।

◆ द्वितीय चरण की मुख्य विशेषताएँ (1678–1686)

1 गवर्नर की शक्ति में वृद्धि

- मद्रास और बंबई जैसे केंद्रों में गवर्नर और उसकी परिषद को अधिक प्रशासनिक अधिकार दिए गए।
 - दीवानी, फौजदारी और सैनिक मामलों में गवर्नर सर्वोच्च प्राधिकारी बन गया।
-

2 न्यायिक व्यवस्था का विकास

- कंपनी ने अपने क्षेत्रों में नियमित न्यायालय स्थापित करने शुरू किए।
- दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कंपनी के नाम पर होने लगी।

- अंग्रेज प्रजाजनों पर अंग्रेजी कानून के सिद्धांत लागू किए गए।

👉 यही आगे चलकर 1683 और 1686 के चार्टरों के माध्यम से अधिक संगठित न्यायिक व्यवस्था का आधार बना।

3 युद्ध और सैन्य शक्ति का प्रयोग

- कंपनी ने भारतीय शासकों के साथ युद्ध और संधि करने की शक्ति का उपयोग किया।
- किले बनाए गए और सेना रखी गई।

इससे स्पष्ट हुआ कि कंपनी अब केवल व्यापारी संस्था नहीं रही।

4 1686 में एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना

- 1686 में मद्रास में Admiralty Court स्थापित किया गया।
 - यह समुद्री और व्यापारिक विवादों की सुनवाई करता था।
 - यह भारत में अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली के औपचारिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
-

5 कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा

इस काल में कंपनी ने—

- संधियाँ कीं
- राजस्व वसूला
- प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों का प्रयोग किया

इससे वह धीरे-धीरे एक शासकीय शक्ति बनती गई।

◆ महत्व

- यह चरण व्यापार से शासन की ओर परिवर्तन का प्रारंभ था।
 - भारत में अंग्रेजी न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली की नींव इसी समय पड़ी।
 - आगे चलकर 1686 और 1698 के चार्टरों के लिए आधार तैयार हुआ।
-

◆ परीक्षा हेतु संक्षिप्त निष्कर्ष

चार्टर 1661 का द्वितीय चरण (1678–1686) वह अवधि थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी न्यायिक, प्रशासनिक और सैन्य शक्तियों का सक्रिय रूप से प्रयोग किया। इसी काल में कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित होने लगी।

Meaning of Metropolitan City

◆ In Simple English

A **Metropolitan City** is a very large and important city that:

- Has a **large population**
- Is a major center of **business, trade, administration, and culture**
- Includes surrounding urban areas or suburbs
- Has advanced infrastructure like transport, hospitals, courts, universities, etc.

👉 It is usually more developed and more populated than an ordinary city.

Example:

In India, cities like **Delhi, Mumbai, Kolkata**, and **Chennai** are considered metropolitan cities.

◆ Legal Meaning (Indian Law Context)

Under the **Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973**, a metropolitan area means:

- 👉 Any area declared by the State Government
- 👉 Having a population of **10 lakh (1 million) or more**

Such areas have:

- **Metropolitan Magistrates**
 - Special criminal court structure
-

◆ In Hindi (सरल हिंदी में)

महानगर (Metropolitan City) वह बड़ा शहर होता है—

- जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो
- जो व्यापार, उद्योग और प्रशासन का प्रमुख केंद्र हो
- जिसके आसपास कई छोटे शहर या उपनगर जुड़े हों

भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर को कानून के अनुसार महानगर घोषित किया जा सकता है।

88 Choultry Court (चौल्ट्री कोर्ट)

◆ Meaning (अर्थ)

Choultry Court was an early judicial institution established by the **English East India Company** in **Madras** (present-day Chennai).

It functioned during the 17th century before the establishment of formal British courts in India.

◆ **Historical Background**

- Established around **1678** in Madras.
 - It was one of the earliest courts in British India.
 - It worked under the authority of the Governor and Council.
-

◆ **Functions of Choultry Court**

- 1 Decided **petty civil and criminal cases**
- 2 Tried cases involving small disputes
- 3 Collected fines and revenue
- 4 Maintained local law and order

👉 It mainly dealt with disputes among Indian inhabitants.

◆ **Composition (Structure)**

- Headed by an Indian official called **Adigar**.
- Assisted by local officers.

- It was not a fully English court; it followed local customs along with Company supervision.
-

◆ **Importance**

- It was the **first step in the development of British judicial system in India.**
 - Later replaced by more organized courts like the Mayor's Court (1726).
 - Shows the transition from traditional Indian justice to English-style courts.
-

◆ **In Hindi (संक्षेप में)**

चौल्ट्री कोर्ट मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रारंभिक न्यायालय था, जो छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। यह भारत में अंग्रेजी न्याय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक था।

Who delivers the summons? What is the name of that person?

◆ **In Modern Indian Legal System**

Under the **Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC)** and **Civil Procedure Code (CPC)**:

👉 A **Summons** is generally delivered by:

1 Process Server

- The official court employee who serves summons.
- Works under the court.
- Personally delivers the summons to the accused/defendant.

2 Police Officer

- In criminal cases, sometimes summons is served by a police officer.

3 Court Officer / Bailiff

- In civil cases, a **Bailiff** may serve summons.
-

◆ **In Early Madras (Choultry Court Period)**

In the early judicial system of **Madras** under the **English East India Company**, summons were usually delivered by:

- Local officers working under the **Adigar (Adhikari)**
- Village officials

- Company servants assigned for execution of orders

There was no formal “process server” designation at that time.

◆ Short Exam Answer (2–3 Lines)

A summons is delivered by a **Process Server** or **Bailiff** appointed by the court. In criminal cases, it may also be served by a police officer.

🏛️ Jurisdiction – Meaning and Types

◆ Meaning of Jurisdiction

Jurisdiction means the legal authority or power of a court to hear and decide a case.

👉 In simple words:

Jurisdiction means **the power of a court to take up a case and give a decision.**

◆ Types of Jurisdiction

1 Pecuniary Jurisdiction (Related to Money)

- “Pecuniary” means **related to money value**.
- Courts have authority based on the **financial value of the case**.
- A lower court can hear cases up to a certain monetary limit.
- If the amount exceeds that limit, the case goes to a higher court.

📌 Example:

If a civil dispute involves ₹5 lakh, it may go to a lower civil court.

If it involves ₹1 crore, it may go to a higher court.

2 Territorial Jurisdiction (Area-wise Authority)

- A court can hear cases only within its **geographical area**.
- The place where the offence occurred or cause of action arose determines jurisdiction.

📌 Example:

If a crime happens in **Delhi**, Delhi courts will have territorial jurisdiction.

3 Subject-Matter Jurisdiction

- Refers to the **type of case** a court can hear.
- Different courts handle different matters.

📌 Examples:

- Family Court → Marriage and divorce cases
- Criminal Court → Criminal offences
- Civil Court → Property and contract disputes

If a court has no subject-matter jurisdiction, its decision is invalid.

4 Original Jurisdiction

- When a case is filed in a court **for the first time**, it is called original jurisdiction.
- The court hears evidence and decides the case initially.

📌 Example:

The **Supreme Court of India** has original jurisdiction in disputes between states (Article 131).

5 Appellate Jurisdiction

- When a higher court hears an **appeal** against the decision of a lower court.
- It reviews the lower court's decision.

📌 Example:

The **High Court of Delhi** hears appeals from subordinate courts.

◆ Short Exam Conclusion

Jurisdiction means the legal authority of a court to decide a case. It may be classified into pecuniary (money-based), territorial (area-based), subject-matter (type of case), original (first hearing), and appellate (appeal hearing).

⚖️ क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) – अर्थ और प्रकार

◆ क्षेत्राधिकार का अर्थ

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का अर्थ है—

किसी न्यायालय की वह कानूनी शक्ति या अधिकार, जिसके आधार पर वह किसी मामले की सुनवाई कर सके और निर्णय दे सके।

👉 सरल शब्दों में:

किस न्यायालय को कौन-सा मामला सुनने का अधिकार है, वही उसका क्षेत्राधिकार है।

◆ क्षेत्राधिकार के प्रकार

1 पैक्यूनियरी क्षेत्राधिकार (Pecuniary Jurisdiction) – धन से संबंधित

- “Pecuniary” का अर्थ है धन या राशि से संबंधित।
- न्यायालय की शक्ति मामले की मूल्य राशि (Value of Suit) पर निर्भर करती है।
- निम्न न्यायालय सीमित धनराशि तक के मामले सुन सकता है।
- अधिक राशि वाले मामले उच्च न्यायालय में जाते हैं।

◆ उदाहरण:

यदि विवाद ₹5 लाख का है तो निचली सिविल अदालत में जा सकता है, लेकिन ₹1 करोड़ का मामला उच्च न्यायालय में जा सकता है।

2 क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)

- न्यायालय केवल अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर हुए मामलों की सुनवाई कर सकता है।
- जहाँ अपराध हुआ या कारण उत्पन्न हुआ, वही क्षेत्रीय अधिकार तय करता है।

◆ उदाहरण:

यदि अपराध Delhi में हुआ है, तो दिल्ली की अदालत को क्षेत्रीय अधिकार होगा।

3 विषयगत क्षेत्राधिकार (Subject-Matter Jurisdiction)

- न्यायालय किस प्रकार के मामले सुन सकता है, यह विषयगत क्षेत्राधिकार कहलाता है।
- अलग-अलग न्यायालय अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं।

◆ उदाहरण:

- पारिवारिक न्यायालय → विवाह एवं तलाक के मामले
- फौजदारी न्यायालय → अपराध से संबंधित मामले
- दीवानी न्यायालय → संपत्ति एवं अनुबंध विवाद

यदि किसी न्यायालय को विषयगत अधिकार नहीं है, तो उसका निर्णय अमान्य होगा।

4 मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

- जब कोई मामला पहली बार किसी न्यायालय में दायर किया जाता है, तो उसे मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं।
- न्यायालय सीधे सुनवाई कर निर्णय देता है।

✦ उदाहरण:

Supreme Court of India को राज्यों के बीच विवादों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 131)।

5 अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

- जब कोई उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है, तो उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं।
- इसमें उच्च न्यायालय निर्णय की समीक्षा करता है।

✦ उदाहरण:

High Court of Delhi अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनता है।

◆ परीक्षा हेतु संक्षिप्त निष्कर्ष

क्षेत्राधिकार का अर्थ है न्यायालय की वह कानूनी शक्ति जिसके आधार पर वह किसी मामले की सुनवाई कर सके। यह पैक्यूनियरी (धन आधारित), क्षेत्रीय (भौगोलिक), विषयगत

(मामले के प्रकार पर आधारित), मूल (पहली सुनवाई) तथा अपीलीय (अपील की सुनवाई) हो सकता है।

charter of 1661 3rd phase

Charter of 1661 – Third Phase (1686 onwards)

The **English East India Company** received wide powers under the Charter of 1661 from **Charles II**.

The **third phase (from 1686 onward)** marks the period when the Company began exercising **full judicial and political authority** and moved closer to becoming a territorial power.

◆ Background of Third Phase (1686)

By 1686:

- The Company had strengthened its military power.
- It began asserting political authority against Indian rulers.
- Judicial institutions became more organized.

This period is sometimes connected with the **Charter of 1686**, which further expanded judicial powers.

◆ Main Features of the Third Phase

Establishment of Admiralty Court (1686)

- An **Admiralty Court** was established in Madras in 1686.
- It dealt with:
 - Maritime disputes
 - Trade matters
 - Commercial cases
- It was presided over by a legally trained judge.

 This was a major step toward formal English judicial administration in India.

Stronger Executive and Judicial Control

- The Governor and Council were given wider authority.
- Civil and criminal justice became more systematized.
- English legal principles were increasingly applied.

3 Beginning of Centralized Administration

- Madras became an important administrative centre.
 - The Company began behaving like a sovereign authority:
 - Making treaties
 - Collecting revenue
 - Waging wars
-

4 Conflict with Mughal Authority

- Around 1686–1690, the Company entered into conflict with the Mughal Empire.
 - This shows the Company's shift from trader to political power.
-

◆ Importance of Third Phase

- Transformation from trading corporation to governing authority.
 - Beginning of organized British judicial system in India.
 - Foundation for later developments like the Mayor's Court (1726).
-

◆ Short Exam Conclusion (5–6 Lines)

The third phase of the Charter of 1661 (from 1686 onward) represents the period when the East India Company began exercising full judicial and political powers. With the establishment of the Admiralty Court and stronger executive authority, the Company moved from a trading body to a territorial power, laying the foundation of British administration in India.

📖 चार्टर 1661 का तृतीय चरण (1686 के बाद)

English East India Company को 1661 में Charles II द्वारा व्यापक अधिकार दिए गए थे।

1686 के बाद का काल चार्टर 1661 का *तृतीय चरण* माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में कंपनी ने अपनी न्यायिक, प्रशासनिक और सैन्य शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया।

यह समय कंपनी के व्यापारी संस्था से शासकीय शक्ति में परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण था।

♦ तृतीय चरण की मुख्य विशेषताएँ

1 1686 में एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना

- 1686 में मद्रास में Admiralty Court की स्थापना की गई।
- यह न्यायालय समुद्री एवं व्यापारिक विवादों की सुनवाई करता था।
- इसमें विधि-विशेषज्ञ (trained judge) की नियुक्ति की गई।

👉 यह भारत में अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली के औपचारिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

2 गवर्नर और परिषद की शक्तियों में वृद्धि

- गवर्नर और उसकी परिषद को व्यापक प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार दिए गए।
- दीवानी और फौजदारी न्याय अधिक संगठित रूप में संचालित होने लगा।
- अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों का अधिक प्रयोग होने लगा।

3 केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत

- मद्रास एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
- कंपनी ने संधियाँ कीं, राजस्व वसूला और युद्ध किए।
- कंपनी का व्यवहार एक स्वतंत्र शासक जैसा होने लगा।

4 मुगल सत्ता से टकराव (1686–1690)

- इस काल में कंपनी का मुगल साम्राज्य से संघर्ष हुआ।
- इससे स्पष्ट हुआ कि कंपनी अब केवल व्यापारी संस्था नहीं रही, बल्कि राजनीतिक शक्ति बन गई थी।

◆ महत्व

- यह चरण ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की मजबूत नींव का प्रारंभ था।
- कंपनी का रूपांतरण व्यापारिक संस्था से शासनकारी शक्ति में हुआ।
- आगे चलकर 1726 के मेयर्स कोर्ट जैसे सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

◆ परीक्षा हेतु संक्षिप्त निष्कर्ष

चार्टर 1661 का तृतीय चरण (1686 के बाद) वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों का पूर्ण प्रयोग प्रारंभ किया। एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना और केंद्रीकृत प्रशासन के विकास के साथ कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई।

📖 चार्टर 1661 के तीनों चरणों की तुलना तालिका

चार्टर 1661, जो Charles II द्वारा English East India Company को दिया गया था, ने कंपनी को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्रदान किए। नीचे तीनों चरणों की तुलना दी गई है:

◆ तुलना तालिका

आधार	प्रथम चरण (1661-1677)	द्वितीय चरण (1678-1686)	तृतीय चरण (1686 के बाद)
प्रकृति	प्रारंभिक न्यायिक अधिकार	न्यायिक संरचना में सुधार	पूर्ण प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण

आधार	प्रथम चरण (1661-1677)	द्वितीय चरण (1678-1686)	तृतीय चरण (1686 के बाद)
न्यायिक व्यवस्था	गवर्नर और परिषद द्वारा न्याय	न्यायालय अधिक संगठित हुए	1686 में एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना
कानून का प्रयोग	अंग्रेजी कानून का सीमित प्रयोग	अंग्रेजी सिद्धांतों का बढ़ता प्रयोग	अंग्रेजी विधि का व्यवस्थित प्रयोग
सत्ता का स्वरूप	व्यापारिक संस्था	अर्ध-राजनीतिक शक्ति	शासकीय/राजनीतिक शक्ति
मुख्य विशेषता	दीवानी व फौजदारी मामलों की सुनवाई की अनुमति	न्यायिक प्रणाली में सुधार	समुद्री व व्यापारिक विवादों हेतु विशेष न्यायालय
राजनीतिक स्थिति	स्थानीय शासकों के अधीन	शक्ति में वृद्धि	मुगल सत्ता से टकराव (1686-1690)

◆ संक्षिप्त व्याख्या

1 प्रथम चरण (1661-1677)

- कंपनी को अपने कर्मचारियों पर दीवानी और फौजदारी न्याय देने का अधिकार मिला।
- गवर्नर और परिषद न्याय का संचालन करते थे।

2 द्वितीय चरण (1678-1686)

- न्यायिक प्रणाली अधिक संगठित हुई।
- कंपनी की शक्ति में वृद्धि हुई।

- अंग्रेजी विधि सिद्धांतों का अधिक प्रयोग शुरू हुआ।

3 तृतीय चरण (1686 के बाद)

- 1686 में एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना।
- कंपनी ने प्रशासन, न्याय और सैन्य शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया।
- कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई।

♦ परीक्षा हेतु 4-5 पंक्तियों में निष्कर्ष

चार्टर 1661 के तीनों चरणों में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति क्रमशः बढ़ती गई। प्रारंभ में उसे सीमित न्यायिक अधिकार मिले, द्वितीय चरण में न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, और तृतीय चरण में कंपनी ने पूर्ण प्रशासनिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली, जिससे वह एक व्यापारिक संस्था से शासकीय शक्ति में परिवर्तित हो गई।

*****-----*****-----*****-----*****-----*****-----

full course completed.

date 9.3.26 time 10.30 am period 3

British Settlement of Bombay and Administration of Justice (1668–1728)

In English

1. Background of British Settlement in Bombay

The island of Bombay was originally under **Portuguese control**.

In **1661**, it was given to **Charles II** as part of the marriage treaty when he married **Catherine of Braganza**.

Later in **1668**, **Charles II** leased Bombay to the **East India Company** for a yearly rent of **£10**.

After that, the British started establishing **administration and courts in Bombay**.

Administration of Justice in Bombay (1668–1728)

The development of courts during this period can be divided into **three stages**.

1. Gerald Aungier's Judicial Plan (1670)

The Governor **Gerald Aungier** organized the first proper judicial system in Bombay.

Courts Established

1. **Court of Judicature**
 - Highest court in Bombay
 - Decided civil and criminal cases
2. **Lower Courts**
 - Local courts to decide small disputes
3. **Panchayat Courts**
 - For Indians according to local customs

Features

- Simple and quick justice
 - Application of **English law and local customs**
 - Governor and council had judicial powers
-

2. Court System of 1683

In **1683**, the **East India Company** established **Admiralty Court**.

Admiralty Court

- Dealt with **maritime and commercial disputes**
 - Included cases relating to **shipping and trade**
 - The judge was usually a legally trained person
-

3. Court of Judicature (1718)

In **1718**, a new **Court of Judicature** was established.

Structure

- One **Chief Justice**
- Nine other judges (members of the council)

Jurisdiction

1. **Civil cases**
2. **Criminal cases**
3. **Commercial disputes**

Features

- Applied English law, company regulations, and local customs
 - Governor had supervisory power
-

Importance of the Period (1668–1728)

1. It laid the foundation of the British judicial system in Bombay.
 2. It introduced English legal principles in India.
 3. It established organized courts and administration of justice.
-

बॉम्बे में ब्रिटिश बसाहट और न्याय प्रशासन (1668–1728)

पृष्ठभूमि

बॉम्बे पहले पुर्तगालियों के अधीन था।

1661 में यह इंग्लैंड के राजा Charles II को उनकी शादी के समय दहेज में मिला, जब उनका विवाह Catherine of Braganza से हुआ।

1668 में राजा ने इसे East India Company को £10 वार्षिक किराए पर दे दिया।

न्याय प्रशासन

1. जेराल्ड आंगियर की न्याय योजना (1670)

गवर्नर Gerald Aungier ने न्याय व्यवस्था स्थापित की।

मुख्य न्यायालय

- कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर
 - निचली अदालतें
 - पंचायती अदालतें
-

2. एडमिरल्टी कोर्ट (1683)

- समुद्री और व्यापारिक विवादों के लिए स्थापित
 - जहाज और व्यापार संबंधी मामलों की सुनवाई
-

3. कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर (1718)

- एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीश
 - दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई
-

निष्कर्ष

1668–1728 का काल बॉम्बे में ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था की नींव रखने वाला काल था। इसी समय भारत में अंग्रेजी न्याय प्रणाली का प्रारंभ हुआ।

Meaning of "Law" under Article 13 of the Constitution of India

Introduction

Article 13 of the **Constitution of India** deals with laws inconsistent with or in derogation of **Fundamental Rights**.

It declares that any law which violates **Fundamental Rights** shall be **void**.

Article 13 also explains what the word "**law**" means.

Definition of Law (Article 13(3)(a))

According to **Article 13(3)(a)**, the term "**law**" includes:

1. **Ordinance**
2. **Order**
3. **Bye-law**
4. **Rule**
5. **Regulation**
6. **Notification**
7. **Custom or Usage having the force of law**

This means the term **law** is used in a very wide sense.

Explanation

1. Ordinance

A law made by the **President or Governor** when the legislature is not in session.

2. Order

Directions issued by government authorities under legal power.

3. Bye-laws

Rules made by **local authorities or corporations**.

4. Rules and Regulations

Detailed provisions made for implementing laws.

5. Custom or Usage

A long-established practice accepted by society and recognized by law.

Example

Traditional customs in personal laws.

Purpose of Article 13

The main purpose is:

1. To **protect Fundamental Rights**.
 2. To ensure that **all laws conform to the Constitution**.
 3. To establish the **supremacy of the Constitution**.
-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में "कानून" का अर्थ

परिचय

Article 13 यह घोषित करता है कि यदि कोई कानून **मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है**, तो वह **अमान्य (Void)** होगा।

अनुच्छेद 13(3)(a) के अनुसार "कानून" में शामिल हैं

1. अध्यादेश (Ordinance)
 2. आदेश (Order)
 3. उपविधि (Bye-law)
 4. नियम (Rule)
 5. विनियम (Regulation)
 6. अधिसूचना (Notification)
 7. प्रथा या रिवाज (Custom or Usage)
-

अध्यादेश

जब संसद या विधानमंडल का सत्र नहीं होता, तब राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाया गया कानून।

आदेश

सरकार द्वारा जारी निर्देश।

उपविधि

स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए नियम।

नियम और विनियम

किसी कानून को लागू करने के लिए बनाए गए विस्तृत प्रावधान।

प्रथा या रिवाज

लंबे समय से चली आ रही सामाजिक प्रथा जिसे कानून मान्यता देता है।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 13 में “कानून” शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, और इसमें केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के वैधानिक नियम और प्रथाएँ शामिल हैं।

which type of Powers Granted to East India Company by the Charter of 1668 ?

The **Charter of 1668** authorized the **East India Company** to administer Bombay and exercise governmental authority.

1. Power of Administration

The Company was given the power to **govern and administer the island of Bombay**. It could appoint **governors and other officers** for administration.

2. Legislative Power

The Company had the authority to **make laws, rules, and regulations** for the inhabitants of Bombay.

These laws were made for:

- Good governance
- Maintenance of peace and order

However, the laws had to be **consistent with English law**.

3. Judicial Power

The Company could **establish courts of justice** in Bombay.

These courts could decide:

- Civil disputes
- Criminal cases

This power laid the foundation of the **British judicial system in Bombay**.

4. Power to Punish Offenders

The Company had the power to **punish offenders**, including:

- Imprisonment
 - Fines
 - Other lawful punishments
-

5. Military Power

The Company could **raise armed forces** to defend Bombay and maintain security.

6. Power to Levy Taxes

The Company could **collect taxes and revenues** from the inhabitants for administration.

Importance of the Charter of 1668

1. It gave the **East India Company governmental authority**.
 2. It allowed the Company to **administer justice in Bombay**.
 3. It marked the **beginning of British administration in Bombay**.
-

1668 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई शक्तियाँ

प्रमुख शक्तियाँ

1. प्रशासनिक शक्ति

कंपनी को बॉम्बे का शासन और प्रशासन चलाने की शक्ति दी गई।

2. विधायी शक्ति

कंपनी को कानून, नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया।

3. न्यायिक शक्ति

कंपनी को न्यायालय स्थापित करने और न्याय देने की शक्ति दी गई।

4. दंड देने की शक्ति

कंपनी अपराधियों को जुर्माना, कारावास आदि दंड दे सकती थी।

5. सैन्य शक्ति

कंपनी को सुरक्षा के लिए सेना रखने की अनुमति थी।

6. कर वसूलने की शक्ति

कंपनी को कर और राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया।

means that the **East India Company had the authority to make laws in these areas** for governing Bombay.

1. Laws relating to Worship and Religion

The Company could make rules regarding **religious practices and places of worship** of people living in Bombay, so that religious peace was maintained.

2. Common Right

“Common right” means **general civil rights of people**, such as:

- property rights
- contractual rights
- rights of citizens in daily life

The Company could regulate these rights through laws.

3. Legal Procedure

The Company could make rules regarding **court procedures**, such as:

- how cases would be filed
 - how trials would be conducted
 - how judgments would be given
-

4. Registration of Sales

The Company could regulate **sale and transfer of property or goods**, including:

- recording or registering sales
 - preventing disputes in property transactions
-

5. Penal Offences

The Company had power to define **crimes and punishments**, such as:

- theft
- fraud
- violence

It could impose penalties like **finest or imprisonment**.

6. Military Discipline

The Company could maintain **discipline among soldiers and armed forces** under its control.

7. Maintenance of Law and Order

The Company had authority to maintain **peace and public order** in Bombay.

Relation with the Charter of 1668

Under the **Charter of 1668**, the **East India Company** received **legislative and administrative powers** to govern Bombay.

Therefore, it could make laws regarding:

- religion and worship
- civil rights
- court procedures
- property transactions
- criminal offences
- military discipline
- maintenance of peace and order

These powers allowed the Company to **act like a government in Bombay**.

Admiralty Court (1684–1690)

In English

Establishment

The **Admiralty Court** was established in **1684** in Bombay by the **East India Company** under the authority of the English Crown.

It was created mainly to deal with **maritime disputes and sea crimes** arising from trade and navigation.

Jurisdiction of the Admiralty Court

The court dealt with matters connected with the **sea and maritime trade**, such as:

1. Sea Crimes (Maritime Offences)

Crimes committed on the sea, for example:

- Piracy
 - Robbery on ships
 - Murder or violence on ships
 - Illegal capture of ships
-

2. Shipping Disputes

Disputes relating to:

- Ownership of ships
 - Damage to ships
 - Navigation problems
-

3. Trade and Commercial Matters

Cases relating to:

- Maritime trade
 - Goods carried by ships
 - Contracts connected with sea trade
-

4. Prize Cases

Disputes regarding **captured ships or goods during conflicts or piracy**.

Composition of the Court

The court generally consisted of:

- **One Judge (legally trained person)**
- **Two merchants as assistants**

These members decided cases related to maritime law.

Importance

1. It was the **first specialized maritime court in Bombay**.
 2. It helped regulate **sea trade and shipping disputes**.
 3. It introduced **English maritime law in India**.
-

एडमिरल्टी कोर्ट (1684–1690)

स्थापना

1684 में बॉम्बे में एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई।

यह अदालत समुद्र से संबंधित मामलों और समुद्री व्यापार के विवादों को हल करने के लिए बनाई गई थी।

अधिकार क्षेत्र

1. समुद्री अपराध (Sea Crimes)

- समुद्री डकैती (Piracy)
 - जहाज पर हत्या या हिंसा
 - जहाजों की लूट
-

2. जहाज संबंधी विवाद

- जहाज के स्वामित्व से जुड़े विवाद
 - जहाज को नुकसान
-

3. समुद्री व्यापार के मामले

- जहाजों द्वारा ले जाए जाने वाले माल के विवाद
 - समुद्री व्यापार के अनुबंध
-

4. Prize Cases

युद्ध या समुद्री डकैती में पकड़े गए जहाजों और माल से संबंधित विवाद।

महत्व

- यह भारत की प्रारंभिक समुद्री अदालतों में से एक थी।
 - इसने समुद्री व्यापार और कानून को नियंत्रित किया।
 - इससे भारत में अंग्रेजी समुद्री कानून की शुरुआत हुई।
-

What is CPC?

CPC (Code of Civil Procedure, 1908) is the law that **lays down the procedure for filing and conducting civil cases in civil courts in India.**

It does not create rights; it only provides the **method or procedure to enforce civil rights.**

Definition

The **Code of Civil Procedure, 1908** is a procedural law that regulates the **process of civil litigation**, including filing suits, trial of cases, execution of decrees, and appeals.

Main Objectives of CPC

1. To **provide a uniform procedure** for civil courts in India.
 2. To ensure **fair and speedy justice.**
 3. To regulate **civil court proceedings.**
-

Matters Covered under CPC

The CPC deals with procedures related to:

1. **Institution of suits** (how a case is filed)
2. **Issue of summons**
3. **Pleadings (plaint and written statement)**
4. **Trial of civil cases**
5. **Judgment and decree**
6. **Execution of decree**

7. Appeals and revisions

Example

If a person files a case for:

- property dispute
- breach of contract
- recovery of money

the procedure followed by the court is governed by the CPC.

CPC क्या है?

CPC (Code of Civil Procedure, 1908) वह कानून है जो भारत में दीवानी मामलों (civil cases) की न्यायालयीन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

यह अधिकार नहीं देता बल्कि अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया बताता है।

CPC के मुख्य उद्देश्य

1. भारत के सभी दीवानी न्यायालयों के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित करना।
 2. निष्पक्ष और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना।
 3. दीवानी मुकदमों की न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।
-

CPC में शामिल प्रमुख विषय

1. वाद दायर करना (Institution of Suit)
2. समन जारी करना
3. वादपत्र और लिखित बयान
4. मुकदमे की सुनवाई
5. निर्णय और डिक्री

6. डिक्री का निष्पादन

7. अपील और पुनरीक्षण

The **Code of Civil Procedure, 1908 (CPC)** is divided into **Sections and Orders**.

In English

1. Sections

The CPC contains **158 Sections**.

These sections explain the **general principles and powers of civil courts**.

Example:

- Jurisdiction of courts
 - Res judicata
 - Place of suing
 - Appeals and revisions
-

2. Orders and Rules

The CPC also contains **51 Orders and Rules under those Orders**.

Orders mainly deal with the **detailed procedure of civil cases**.

Examples of important Orders:

- **Order 1** – Parties to suit
 - **Order 5** – Issue of summons
 - **Order 6** – Pleadings
 - **Order 7** – Plaint
 - **Order 8** – Written statement
 - **Order 9** – Appearance of parties
 - **Order 20** – Judgment and decree
 - **Order 21** – Execution of decree
 - **Order 41** – Appeals from original decrees
-

In Hindi

Code of Civil Procedure, 1908 में दो मुख्य भाग होते हैं:

1. धाराएँ (Sections)

CPC में कुल 158 धाराएँ हैं।

ये धाराएँ न्यायालय की शक्तियों और सामान्य सिद्धांतों को बताती हैं।

2. आदेश (Orders)

CPC में 51 Orders हैं और प्रत्येक Order में कई Rules होते हैं।

Orders में मुकदमे की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।

उदाहरण:

- Order 1 – वाद के पक्षकार
 - Order 5 – समन जारी करना
 - Order 6 – Pleadings
 - Order 7 – वादपत्र (Plaint)
 - Order 8 – Written Statement
 - Order 21 – डिक्री का निष्पादन
 - Order 41 – अपील
-

difference between cpc and crpc?

Difference Between CPC and CrPC

CPC and CrPC are two important procedural laws in India.

- **Code of Civil Procedure, 1908 (CPC)** deals with **civil cases**.
 - **Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC)** deals with **criminal cases**.
-

Main Differences

Basis	CPC	CrPC
Meaning	Procedure for civil cases	Procedure for criminal cases

Basis	CPC	CrPC
Full Form	Code of Civil Procedure	Code of Criminal Procedure
Year	1908	1973
Nature of Cases	Civil disputes	Criminal offences
Objective	Enforcement of civil rights	Punishment of offenders
Parties	Plaintiff vs Defendant	State vs Accused
Examples of Cases	Property disputes, contract disputes, recovery of money	Theft, murder, assault, fraud

Example

Civil Case (CPC)

A files a suit against B for **recovery of money or property dispute**.

Criminal Case (CrPC)

The **State prosecutes a person for theft or murder**.

CPC और CrPC में अंतर

आधार	CPC	CrPC
पूरा नाम	सिविल प्रक्रिया संहिता	दंड प्रक्रिया संहिता
वर्ष	1908	1973
मामलों का प्रकार	दीवानी मामले	आपराधिक मामले
उद्देश्य	नागरिक अधिकारों का संरक्षण	अपराधियों को दंड देना
पक्षकार	वादी और प्रतिवादी	राज्य और अभियुक्त

निष्कर्ष

CPC दीवानी मामलों की प्रक्रिया बताता है, जबकि CrPC आपराधिक मामलों की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

*****=====*****

date 11.3.26 time 10.30 am period 2

Warren Hastings in Legal History (LLB 2nd Semester)

Subject: **Legal History** / Indian Legal System 

Warren Hastings was the **first Governor-General of Bengal (1772–1785)** under the **East India Company**. He played a very important role in the **development of the British judicial system in India**. His reforms are known as the **Judicial Plan of 1772**.

1. Introduction (परिचय)

Warren Hastings introduced many judicial reforms in India to improve the administration of justice. Before his reforms, the judicial system was **corrupt and disorganized**.

In **1772**, he introduced a new judicial system called the **Plan of 1772**, which reorganized courts in Bengal, Bihar, and Orissa.

2. Judicial Plan of 1772 (1772 की न्याय योजना)

The **Judicial Plan of 1772** was introduced by Warren Hastings to establish a proper court system.

Main Features

1. Establishment of Civil Courts (Diwani Adalat)

- Civil courts were established in every district.
- These courts dealt with cases related to:
 - property
 - inheritance
 - marriage
 - caste
 - contracts

The district collector acted as the judge.

2. Establishment of Criminal Courts (Faujdari Adalat)

Criminal courts were also established in districts.

They dealt with cases such as:

- theft
- murder
- robbery
- other crimes

These courts were supervised by **Indian judges and Muslim law officers**.

3. Sadar Diwani Adalat

A higher civil court called **Sadar Diwani Adalat** was established at Calcutta.

It was the **highest civil court of appeal**.

4. Sadar Nizamat Adalat

The highest criminal court was **Sadar Nizamat Adalat**.

It handled appeals in criminal cases.

5. Application of Personal Laws

Warren Hastings introduced the rule that:

- **Hindus** would be governed by **Hindu Law** in matters of marriage and inheritance.
- **Muslims** would be governed by **Muslim Law**.

This policy respected the religious customs of Indians.

3. Judicial Plan of 1774

After the **Regulating Act 1773**, the **Supreme Court of Calcutta** was established in **1774**.

This created conflicts between the **Supreme Court** and the Company's courts.

4. Importance of Warren Hastings' Reforms

The reforms of Warren Hastings were important because:

1. They created the **first organized judicial system in India**.
2. They separated **civil and criminal courts**.
3. They introduced **appeal courts**.
4. They respected **Hindu and Muslim personal laws**.

5. They laid the **foundation of the modern Indian judiciary.**

5. Conclusion (निष्कर्ष)

Warren Hastings is considered a **pioneer of the modern judicial system in India.**

His judicial reforms improved the administration of justice and established a structured court system.

Warren Hastings का योगदान (Legal History – LLB 2nd Semester)

विषय: Legal History 

1. परिचय

Warren Hastings को भारत में ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था की नींव रखने वाला माना जाता है। वे 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर-जनरल रहे और East India Company के प्रशासन को संगठित किया।

उनसे पहले भारत में न्याय व्यवस्था अव्यवस्थित और भ्रष्ट थी। इसलिए उन्होंने 1772 में न्यायिक सुधार (Judicial Plan) लागू किए, जिनसे एक संगठित अदालत प्रणाली की शुरुआत हुई।

2. 1772 की न्याय योजना (Judicial Plan of 1772)

Warren Hastings ने 1772 में न्यायिक योजना लागू की, जिसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में न्यायालयों की स्थापना की गई।

मुख्य विशेषताएँ

1. दीवानी अदालत (Diwani Adalat)

प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत स्थापित की गई।

इन अदालतों में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई होती थी:

- संपत्ति (Property)

- उत्तराधिकार (Inheritance)
- विवाह (Marriage)
- जाति संबंधी विवाद
- अनुबंध (Contract)

इन अदालतों का प्रमुख जिला कलेक्टर होता था।

2. फौजदारी अदालत (Faujdari Adalat)

जिलों में फौजदारी अदालतें भी स्थापित की गईं।

इन अदालतों में अपराधों की सुनवाई होती थी, जैसे:

- चोरी
- हत्या
- डकैती
- अन्य आपराधिक मामले

इन अदालतों में मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय दिया जाता था।

3. सदर दीवानी अदालत (Sadar Diwani Adalat)

यह सबसे उच्च दीवानी अपीलीय अदालत थी।

यह अदालत कलकत्ता में स्थापित की गई थी और जिला अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील यहीं की जाती थी।

4. सदर निजामत अदालत (Sadar Nizamat Adalat)

यह सबसे उच्च फौजदारी अदालत थी।

यह अदालत आपराधिक मामलों की अपील सुनती थी।

5. व्यक्तिगत कानून का प्रयोग

Warren Hastings ने यह नियम बनाया कि:

- हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून लागू होगा
- मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू होगा

इससे लोगों की धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया गया।

3. 1774 के बाद की स्थिति

Regulating Act 1773 के बाद Supreme Court of Calcutta की स्थापना 1774 में हुई।

इससे कंपनी की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद पैदा हो गए।

4. वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का महत्व

Warren Hastings के सुधार बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि:

1. भारत में संगठित न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई।
 2. दीवानी और फौजदारी अदालतों का अलग-अलग गठन हुआ।
 3. अपील की व्यवस्था शुरू हुई।
 4. हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता दी गई।
 5. आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की नींव रखी गई।
-

5. निष्कर्ष

Warren Hastings को भारत में आधुनिक न्यायिक व्यवस्था का **प्रवर्तक (Pioneer)** माना जाता है। उनके द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों ने भारत में कानून और न्याय प्रशासन को व्यवस्थित किया।

Sir John Biggs (Legal History)

1. परिचय

Sir John Biggs ब्रिटिश शासनकाल के एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश थे। वे **Supreme Court of Judicature at Fort William (कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट)** के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) रहे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. नियुक्ति (Appointment)

Sir John Biggs को 1859 में **कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश** नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी और उन्होंने न्यायिक प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया।

3. योगदान (Contribution)

1. भारत में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित करने में योगदान दिया।
 2. सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और संगठित बनाया।
 3. कानून के शासन (Rule of Law) को लागू करने में भूमिका निभाई।
 4. ब्रिटिश और भारतीय कानूनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया।
-

4. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

जिस अदालत में Sir John Biggs कार्यरत थे, वह अदालत **Regulating Act 1773** के तहत स्थापित **कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट** की परंपरा का हिस्सा थी।

यह अदालत मुख्य रूप से:

- ब्रिटिश नागरिकों के मामलों की सुनवाई
- दीवानी और फौजदारी मामलों का निर्णय
- न्यायिक अपीलों की सुनवाई करती थी।

5. निष्कर्ष

Sir John Biggs ब्रिटिश भारत के एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश थे। उन्होंने न्यायिक प्रशासन को मजबूत करने और अदालतों के कामकाज को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

question what is the rearrest of the rearrest case criteria?

Bachan Singh v. State of Punjab (1980) – LLB 2nd Semester (Important Case Law)

विषय: Constitutional Law / Criminal Law

यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण (landmark) निर्णय है जिसमें मृत्युदंड (Death Penalty) की संवैधानिक वैधता पर फैसला दिया गया।

1. केस का परिचय

- केस: Bachan Singh v. State of Punjab (1980)
- निर्णय तिथि: 9 मई 1980
- न्यायालय: Supreme Court of India
- पीठ: 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ
- निर्णय: 4:1 बहुमत से दिया गया।

2. मामले के तथ्य (Facts of the Case)

बचन सिंह को Indian Penal Code 1860 की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध में दोषी पाया गया।

- उसने तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी थी।
 - सेशन कोर्ट ने उसे मृत्युदंड (Death Penalty) की सजा दी।
 - हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।
 - इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
-

3. मुख्य कानूनी प्रश्न (Issues)

1. क्या मृत्युदंड (Death Penalty) भारतीय संविधान के विरुद्ध है?
 2. क्या धारा 302 IPC और CrPC की धारा 354(3) संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती हैं?
-

4. न्यायालय का निर्णय (Judgment)

सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 बहुमत से निर्णय दिया कि:

- मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है।
 - यह संविधान के अनुच्छेद 21 (Right to Life) का उल्लंघन नहीं करता, यदि इसे कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाए।
-

5. "Rarest of Rare" सिद्धांत

इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने "Rarest of Rare Doctrine" स्थापित किया।

इस सिद्धांत के अनुसार:

- मृत्युदंड केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
 - सामान्य स्थिति में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) ही सजा होनी चाहिए।
 - न्यायालय को aggravating (गंभीर परिस्थितियाँ) और mitigating (कम करने वाली परिस्थितियाँ) दोनों को ध्यान में रखना होगा।
-

6. निर्णय का महत्व (Importance)

1. भारत में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया गया।
 2. “Rarest of Rare Doctrine” की स्थापना हुई।
 3. यह भारत में मृत्युदंड के सिद्धांत का आधारभूत (foundation) निर्णय बन गया।
 4. बाद में कई मामलों में इसी सिद्धांत का पालन किया गया, जैसे Machhi Singh v. State of Punjab (1983)।
-

7. निष्कर्ष

Bachan Singh v. State of Punjab (1980) भारतीय न्यायपालिका का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस फैसले ने यह सिद्ध किया कि मृत्युदंड केवल सबसे गंभीर और दुर्लभ अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, जिससे मानव जीवन की गरिमा की रक्षा हो सके।

question (method of execution) in capital punishment case.

Deena v. Union of India (1983) – LLB Case Law

यह भारत के Supreme Court of India का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें फांसी देने की विधि (method of execution) की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया।

1. केस का परिचय

- केस: Deena v. Union of India (1983)

- न्यायालय: Supreme Court of India
 - विषय: मृत्युदंड देने की विधि की संवैधानिकता
 - संबंधित कानून: Indian Penal Code 1860 और Code of Criminal Procedure 1973
-

2. मामले के तथ्य (Facts)

इस मामले में याचिकाकर्ता Deena को हत्या के अपराध में मृत्युदंड की सजा दी गई थी।

उन्होंने अदालत में यह तर्क दिया कि भारत में दी जाने वाली फांसी द्वारा मृत्यु (hanging by neck until death) एक क्रूर और अमानवीय दंड है।

उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।

3. मुख्य कानूनी प्रश्न (Issue)

क्या फांसी देकर मृत्युदंड देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?

4. न्यायालय का निर्णय (Judgment)

Supreme Court of India ने यह निर्णय दिया कि:

- फांसी द्वारा मृत्युदंड देना असंवैधानिक नहीं है।
- यह दंड देने की एक कानूनी और मान्य विधि है।
- यह विधि अत्यधिक क्रूर या अमानवीय नहीं मानी जा सकती।

इसलिए अदालत ने याचिका को खारिज (dismiss) कर दिया।

5. निर्णय का महत्व

1. इस मामले में अदालत ने फांसी देने की विधि को वैध माना।
 2. अदालत ने कहा कि यह दंड कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है।
 3. इस फैसले ने मृत्युदंड से संबंधित कानून को स्पष्ट किया।
-

6. संबंधित महत्वपूर्ण केस

इस निर्णय का संबंध एक अन्य प्रसिद्ध केस से भी है:

- **Bachan Singh v. State of Punjab (1980)** – जिसमें “Rarest of Rare” सिद्धांत स्थापित किया गया था।
-

7. निष्कर्ष

Deena v. Union of India (1983) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फांसी द्वारा मृत्युदंड देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, इसलिए यह भारत में एक वैध दंड विधि है।

question sexual assault against women.

Sakshi v. Union of India (2004) – Important Case Law

यह मामला महिलाओं और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसे Supreme Court of India ने दिया था।

1. केस का परिचय

- केस: **Sakshi v. Union of India (2004)**
- न्यायालय: **Supreme Court of India**
- याचिकाकर्ता: **Sakshi (एक NGO)**
- विषय: **बलात्कार कानूनों की व्याख्या और बच्चों की सुरक्षा**

यह याचिका एक NGO Sakshi द्वारा दायर की गई थी, जिसका उद्देश्य यौन अपराधों से बच्चों और महिलाओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

2. मामले के तथ्य (Facts)

NGO Sakshi ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि:

- भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की परिभाषा बहुत संकीर्ण (narrow) है।
 - कई प्रकार के यौन उत्पीड़न कानून के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
 - इससे विशेषकर बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को साबित करना कठिन हो जाता है।
-

3. मुख्य कानूनी प्रश्न (Issue)

1. क्या बलात्कार की परिभाषा को व्यापक (broader) बनाया जाना चाहिए?
 2. क्या बच्चों के यौन शोषण के मामलों में न्यायालय की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाया जाना चाहिए?
-

4. न्यायालय का निर्णय (Judgment)

Supreme Court of India ने कहा कि:

- अदालत कानून की परिभाषा को बदल नहीं सकती, यह काम संसद का है।
 - लेकिन अदालत ने मुकदमों की प्रक्रिया में सुधार के निर्देश दिए।
-

5. अदालत द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

1. बच्चों के बयान संवेदनशील वातावरण में लिए जाएँ।
2. पीड़ित बच्चे को आरोपी के सामने सीधे खड़ा न किया जाए।

3. बयान के दौरान वीडियो लिंक या स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है।
 4. अदालत को बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
-

6. निर्णय का महत्व

1. इस फैसले ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया।
 2. अदालत ने child-friendly judicial procedure की अवधारणा को बढ़ावा दिया।
 3. बाद में भारत में बाल यौन अपराध कानूनों के सुधार के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण आधार बना।
-

7. निष्कर्ष

Sakshi v. Union of India (2004) भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

question what is Committee of Circuit (सर्किट समिति)?

Committee of Circuit (सर्किट समिति)

1. परिचय

Committee of Circuit की स्थापना 1772 में की गई थी। यह व्यवस्था Warren Hastings द्वारा लागू की गई न्यायिक योजना (Judicial Plan of 1772) का हिस्सा थी।

इस समिति का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों की सुनवाई करना और न्याय प्रशासन को सुधारना था।

2. गठन (Composition)

Committee of Circuit में सामान्यतः:

- East India Company के अधिकारी
- राजस्व परिषद (Council) के सदस्य

शामिल होते थे।

ये सदस्य अलग-अलग जिलों में जाकर अपराध मामलों की सुनवाई करते थे।

3. कार्य (Functions)

Committee of Circuit के मुख्य कार्य थे:

1. जिलों का दौरा करके फौजदारी मामलों की सुनवाई करना।
 2. Faujdari Adalat के कामकाज की निगरानी करना।
 3. गंभीर अपराधों में सजा निर्धारित करना।
 4. न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित और नियंत्रित करना।
-

4. महत्व (Importance)

1. यह भारत में ब्रिटिश आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रारंभिक रूप था।
 2. इससे न्यायालयों की कार्यप्रणाली में नियम और व्यवस्था आई।
 3. यह व्यवस्था बाद में स्थायी अदालत प्रणाली की नींव बनी।
-

5. समाप्ति (Abolition)

बाद में Charles Cornwallis ने 1793 के न्यायिक सुधारों (Cornwallis Reforms) के दौरान Committee of Circuit को समाप्त कर दिया और एक नई अदालत प्रणाली स्थापित की।

*** sadar diwani Adalat (civil process) diwan sahib

*** sadar nizamat adalat (criminal process) nizam sahib

Mofussil Diwani Adalat (मुफस्सिल दीवानी अदालत)

विषय: Legal History – LLB 2nd Semester

1. परिचय

Mofussil Diwani Adalat ब्रिटिश काल में स्थापित जिला स्तर की दीवानी अदालतें थीं।

इन अदालतों की स्थापना Warren Hastings ने 1772 की न्यायिक योजना (Judicial Plan of 1772) के अंतर्गत की थी।

इनका उद्देश्य जिलों में दीवानी (Civil) मामलों का निपटारा करना था।

2. “Mofussil” का अर्थ

“Mofussil” शब्द का अर्थ है कलकत्ता के बाहर का क्षेत्र (प्रांत या जिला क्षेत्र)।

इसलिए Mofussil Diwani Adalat का अर्थ है जिलों में स्थित दीवानी अदालतें।

3. गठन (Composition)

इन अदालतों के प्रमुख होते थे:

- जिला कलेक्टर (District Collector)
 - भारतीय कानून विशेषज्ञ जैसे:
 - पंडित (हिंदू कानून के लिए)
 - काज़ी या मौलवी (मुस्लिम कानून के लिए)
-

4. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

इन अदालतों में दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी, जैसे:

1. संपत्ति (Property disputes)
 2. उत्तराधिकार (Inheritance)
 3. विवाह संबंधी मामले
 4. अनुबंध (Contracts)
 5. ऋण और व्यापार विवाद
-

5. अपील की व्यवस्था

Mofussil Diwani Adalat के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी:

→ Sadar Diwani Adalat में

यह उस समय की सबसे उच्च दीवानी अदालत थी।

6. महत्व (Importance)

1. जिलों में न्याय प्रशासन की शुरुआत हुई।
 2. लोगों को स्थानीय स्तर पर न्याय मिलने लगा।
 3. यह भारत में आधुनिक दीवानी न्यायालय प्रणाली की नींव बनी।
-

7. निष्कर्ष

Mofussil Diwani Adalat ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण अदालत थी जिसने भारत में जिला स्तर की दीवानी न्याय प्रणाली को विकसित किया और बाद में आधुनिक अदालत व्यवस्था के लिए आधार तैयार किया।

Mofussil Nizamat Adalat (मुफस्सिल निजामत अदालत)

विषय: Legal History – LLB 2nd Semester

1. परिचय

Mofussil Nizamat Adalat ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित जिला स्तर की फौजदारी (Criminal) अदालतें थीं।

इनकी स्थापना Warren Hastings ने 1772 की न्यायिक योजना (Judicial Plan of 1772) के अंतर्गत की थी।

इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य जिलों में अपराध संबंधी मामलों का निपटारा करना था।

2. "Mofussil" का अर्थ

"Mofussil" का अर्थ है कलकत्ता के बाहर का क्षेत्र या जिला।

इसलिए Mofussil Nizamat Adalat का अर्थ है जिलों में स्थित फौजदारी अदालत।

3. गठन (Composition)

इन अदालतों में निम्न अधिकारी शामिल होते थे:

- काजी (Qazi)
- मुफ्ती (Mufti)
- मौलवी (Maulvi)

ये अधिकारी मुस्लिम आपराधिक कानून के अनुसार मामलों का निर्णय करते थे।

इन अदालतों की निगरानी ब्रिटिश अधिकारी (District Collector) करते थे।

4. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

इन अदालतों में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी, जैसे:

1. हत्या (Murder)
 2. चोरी (Theft)
 3. डकैती (Robbery)
 4. अन्य गंभीर अपराध
-

5. अपील की व्यवस्था

Mofussil Nizamat Adalat के फैसलों के विरुद्ध अपील की जाती थी:

→ Sadar Nizamat Adalat में

यह उस समय की सबसे उच्च फौजदारी अदालत थी।

6. महत्व (Importance)

1. जिलों में आपराधिक न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई।
 2. अपराधों के मामलों में संगठित न्याय व्यवस्था स्थापित हुई।
 3. यह भारत की आधुनिक क्रिमिनल कोर्ट प्रणाली की आधारशिला बनी।
-

7. निष्कर्ष

Mofussil Nizamat Adalat ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण अदालत थी जिसने भारत में जिला स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली को विकसित किया और बाद में आधुनिक अदालत व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

describe *intestate and testamentary*?

1. Intestate Succession (अवसीयत के बिना उत्तराधिकार)

Meaning

जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत (Will) बनाए मर जाता है, तो उसकी संपत्ति का वितरण कानून के अनुसार होता है। इसे Intestate Succession कहते हैं।

Definition

Intestate succession means **succession to property when a person dies without making a will.**

Example

यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में कोई वसीयत नहीं बनाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलती है।

Laws Governing Intestate Succession in India

- Hindu Succession Act 1956 (हिंदुओं के लिए)
- Indian Succession Act 1925 (अन्य समुदायों के लिए)

2. Testamentary Succession (वसीयत द्वारा उत्तराधिकार)

Meaning

जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले वसीयत (Will) बनाकर यह तय करता है कि उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, तो इसे Testamentary Succession कहते हैं।

Definition

Testamentary succession means **succession to property according to the will made by the deceased person.**

Example

यदि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में लिख देता है कि उसकी संपत्ति उसके बेटे को मिलेगी, तो मृत्यु के बाद संपत्ति उसी व्यक्ति को दी जाएगी।

3. Intestate और Testamentary Succession में अंतर

Intestate Succession

वसीयत नहीं होती

Testamentary Succession

वसीयत होती है

Intestate Succession

Testamentary Succession

संपत्ति कानून के अनुसार बंटती है संपत्ति वसीयत के अनुसार बंटती है

मृतक की इच्छा लागू नहीं होती मृतक की इच्छा लागू होती है

कानूनी वारिस तय होते हैं वसीयत में बताए व्यक्ति को संपत्ति मिलती है

4. निष्कर्ष

- Intestate Succession तब लागू होता है जब व्यक्ति बिना वसीयत मरता है।
- Testamentary Succession तब लागू होता है जब व्यक्ति वसीयत बनाकर संपत्ति का बंटवारा तय करता है।

दोनों ही उत्तराधिकार के महत्वपूर्ण तरीके हैं और भारतीय कानून में इनका अलग-अलग प्रावधान है।

question Fatwa (फतवा) क्या है?

Fatwa इस्लामी कानून (Islamic Law) में किसी धार्मिक या कानूनी प्रश्न पर धर्म विद्वान द्वारा दिया गया मत या सलाह होता है।

1. Definition

Fatwa का अर्थ है इस्लामी कानून के आधार पर किसी धार्मिक या कानूनी प्रश्न का उत्तर या राय देना।

यह राय आमतौर पर किसी मुफ्ती (Mufti) द्वारा दी जाती है।

2. Who gives Fatwa (फतवा कौन देता है)

फतवा देने वाला व्यक्ति कहलाता है:

- Mufti (मुफ्ती) – इस्लामी कानून का विद्वान जो धार्मिक प्रश्नों पर राय देता है।

3. Nature of Fatwa

- फतवा कोर्ट का आदेश नहीं होता।
 - यह कानूनी रूप से बाध्यकारी (binding) नहीं होता।
 - यह केवल धार्मिक सलाह या मत होता है।
-

4. Example

यदि किसी व्यक्ति को यह जानना हो कि किसी धार्मिक कार्य का तरीका क्या है, तो वह किसी मुफ्ती से फतवा मांग सकता है।

5. Important Point in Indian Law

भारत में Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फतवा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसे किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता।

यह बात केस *Vishwa Lochan Madan v. Union of India (2014)* में स्पष्ट की गई।

Vishwa Lochan Madan v. Union of India (2014)

यह भारत के Supreme Court of India का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें फतवा (Fatwa) की कानूनी स्थिति पर फैसला दिया गया।

1. केस का परिचय

- केस: *Vishwa Lochan Madan v. Union of India (2014)*
- न्यायालय: Supreme Court of India
- विषय: फतवा की वैधता और उसका प्रभाव
- याचिकाकर्ता: Vishwa Lochan Madan

इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या फतवा जारी करना संविधान के अनुसार वैध है और क्या यह लोगों पर बाध्यकारी हो सकता है?

2. मामले के तथ्य (Facts)

याचिकाकर्ता Vishwa Lochan Madan ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि:

- कुछ धार्मिक संस्थाएँ फतवा जारी करके लोगों के जीवन और अधिकारों को प्रभावित करती हैं।
 - कई बार ये फतवे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन (Rule of Law) के खिलाफ होते हैं।
 - इसलिए फतवा जारी करने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
-

3. मुख्य कानूनी प्रश्न (Issue)

1. क्या फतवा जारी करना संविधान के विरुद्ध है?
 2. क्या फतवा कानूनी रूप से बाध्यकारी (binding) होता है?
-

4. न्यायालय का निर्णय (Judgment)

Supreme Court of India ने अपने निर्णय में कहा:

1. फतवा देना स्वयं में अवैध नहीं है।
 2. लेकिन फतवा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता।
 3. किसी व्यक्ति को फतवे का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
 4. यदि कोई फतवा किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
-

5. निर्णय का महत्व (Importance)

1. अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में कानून सर्वोच्च है।
 2. धार्मिक राय या फतवा कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
 3. फतवा केवल धार्मिक सलाह (advisory opinion) है।
 4. यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत करता है।
-

6. निष्कर्ष

Vishwa Lochan Madan v. Union of India (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फतवा केवल एक धार्मिक राय है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और किसी व्यक्ति को इसका पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

question who is Sir Elijah Impey?

Sir Elijah Impey

1. परिचय

Sir Elijah Impey ब्रिटिश काल के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। वे भारत के पहले Chief Justice of the Supreme Court of Judicature at Fort William (Calcutta Supreme Court) थे।

2. नियुक्ति (Appointment)

- उनकी नियुक्ति 1774 में हुई।
 - यह अदालत Regulating Act 1773 के अंतर्गत स्थापित की गई थी।
-

3. कार्य और भूमिका

Sir Elijah Impey ने:

1. कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रशासन को संगठित किया।
 2. ब्रिटिश कानून को भारत में लागू करने में भूमिका निभाई।
 3. अदालत की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया।
-

4. वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंध

Sir Elijah Impey और Warren Hastings के बीच घनिष्ठ संबंध थे।

इसी कारण कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने हेस्टिंग्स के पक्ष में निर्णय दिए।

5. नंद कुमार केस (Important Case)

Sir Elijah Impey का नाम एक प्रसिद्ध मामले से जुड़ा है:

→ Nand Kumar Case (1775)

इस मामले में राजा नंद कुमार को जालसाजी (forgery) के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी।

इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई और इसे कई इतिहासकारों ने न्यायिक हत्या (Judicial Murder) कहा।

6. महत्व

1. वे भारत के पहले Chief Justice थे।
 2. उन्होंने भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की शुरुआत की।
 3. उनका कार्यकाल भारतीय कानूनी इतिहास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।
-
-